भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
* * *
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3994

(दिनांक 17.07.2019 को उत्तर के लिए)

अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले

3994. श्री भर्तृहरि महताब :

श्री राहुल रमेश शेवले :

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सीबीआई द्वारा आईएएस/आईपीएस/आईआरएस अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार और आय से अधिक सम्पत्ति के राज्य-वार कितने मामले दर्ज किए गए हैं तथा उनके निपटान, चालान और दोषसिद्धि का ब्यौरा क्या है;
(ख) कितने अधिकारियों पर दोषसिद्ध हुआ है तथा कितने मामलों में अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति को जब्त कर लिया गया है;
(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार ऐसे कितने अधिकारी हैं जो बच कर विदेश चले गए हैं तथा इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या देश में भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;
(ङ) पारदर्शिता अन्तर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार परिदृश्य में भारत की रेटिंग कितनी है;
(च) क्या भारत ने देश भर में सरकारी कार्यालयों के संचालन में पारदर्शिता लाने के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(छ) सरकार द्वारा भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ग): जहां तक सीबीआई का संबंध है, इसने गत तीन वर्षों अर्थात् 2016, 2017, 2018 और 2019 (दिनांक 30.06.2019 तक) के दौरान 86 आईएएस/आईपीएस/आईआरएस अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार और आय से अधिक सम्पत्ति से संबंधित 61 नियमित मामले दर्ज किए हैं।

गत तीन वर्षों अर्थात् 2016, 2017, 2018 और 2019 (दिनांक 30.06.2019 तक) के दौरान 20 नियमित मामलों में लिप्त 26 आईएएस/आईपीएस/आईआरएस अधिकारियों को दोषी ठहराया गया है। न्यायालय द्वारा दो मामलों में आय से अधिक संपत्ति की सीमा तक संपत्तियों की ज़ब्ती के आदेश दिए गए हैं।

कोई भी अधिकारी भागकर विदेश नहीं गया है।

(घ): केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, आयोग द्वारा आपराधिक प्रक्रियाओं, बड़ी शास्ति प्रक्रियाओं, छोटी शास्ति प्रक्रियाओं तथा प्रशासनिक कार्रवाई और मामलों को बन्द करने आदि के संबंध में दी गयी सलाह की कुल संख्या वर्ष 2016 में 2088 से घटकर वर्ष 2018 में 1889 हो गई है। इसलिए, यह कहना सही नहीं होगा कि देश में कुल भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई है।

(ङ): केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के अनुसार, बहुआयामी रणनीति के भाग के रूप में आयोग भ्रष्टाचार से प्रभावी तरीके से निपटने हेतु निवारक, सहभागी तथा दण्डात्मक सतर्कता उपायों पर बल देता रहा है।

आयोग संगठनों द्वारा शुरू की जाने वाली निवारक सतर्कता पहलों पर कई वर्षों से बल देता रहा है जिसका उद्देश्य संगठनात्मक कार्य-कुशलता बढ़ाने के साथ ही भ्रष्ट प्रथाओं को घटित होने से पहले ही रोकने के उद्देश्य को पूरा करना है। आयोग द्वारा इस विषय पर बल देने के परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार की अधिक आशंका वाले क्षेत्रों में प्रणालीगत सुधार करने हेतु कई संगठनों द्वारा विभिन्न सफल पहलें शुरू की गई हैं।

(च) और (छ): केंद्र सरकार "भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता" की अपनी नीति के प्रति प्रतिबद्ध है और इसने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार द्वारा भ्रष्टाचार से निपटने के लिए उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:

I. पारदर्शी नागरिक अनुकूल सेवाएं प्रदान करने और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए प्रणालीगत बदलाव और सुधार करना। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कदम शामिल हैं:

   क) सरकार की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पहल के माध्यम से पारदर्शी ढंग से नागरिकों को कल्याणकारी लाभ का सीधे संवितरण।

   ख) सार्वजनिक प्रापणों में ई-निविदा का कार्यान्वयन।

   ग) ई-शासन का आरंभ तथा प्रक्रियाओं और प्रणालियों का सरलीकरण।

   घ) सरकारी ई-बाजार स्थल (जेम) द्वारा सरकारी प्रापणों का आरंभ।

II. भारत सरकार में समूह 'ख' (अराजपत्रित) एवं समूह 'ग' पदों की भर्ती में साक्षात्कारों को समाप्त करना।

III. ऐसे पदाधिकारियों को समयपूर्व सेवानिवृत्त करने के लिए एफआर-56 (जे) एवं एआईएस (डीसीआरबी) नियम 1958 लागू करना जिनके कार्य निष्पादन की समीक्षा की गई हो और इसे संतोषजनक न पाया गया हो।

IV. अनुशासनिक कार्यवाहियों से संबंधित प्रक्रिया में सख्त समय-सीमाओं हेतु प्रावधान करने के लिए अखिल भारतीय सेवा (अनुशासनिक एवं अपील) नियमावली एवं केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली में संशोधन किया गया है।

V. रिश्वत देने के कृत्य को स्पष्ट रूप में अपराध घोषित कर तथा रिश्वत देने के कृत्य में सहमति रखने अथवा मिलीभगत करने वाले वाणिज्यिक संगठनों के वरिष्ठ प्रबंधन के संबंध में प्रातिनिधिक दायित्व तय करके भ्रष्टाचार के बड़े मामले को रोक कर भ्रष्टाचार से निपटने में आमूलचूल बदलाव लाने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 को दिनांक 26.07.2018 को संशोधित किया गया।

VI. संगठनों को मुख्य सरकारी प्रापण गतिविधियों में सत्यनिष्ठा समझौता अपनाने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा अनुदेश जारी करना और जहां कोई अनियमितता/कदाचार ध्यान में आए वहां प्रभावी एवं त्वरित अन्वेषण सुनिश्चित करना।

VII. चार न्यायिक सदस्यों सहित अध्यक्ष और आठ सदस्यों की नियुक्ति द्वारा लोकपाल की संस्था को शुरू किया गया। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध कथित अपराधों के संबंध में लोकपाल को शिकायतों को सीधे प्राप्त करने और उन पर स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करने का सांविधिक अधिदेश प्राप्त है।

****